

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् सहजदीप सिंह बनाम अमर सिंह वगैरा किस्म मुकदम् 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 02/2016

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
07.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं। स्वयं वादी भी अनुपस्थित। वकील वादी एवं वादी को रूक-रूक कर आवाजे लगाई। आवाजे लगाने के बावजूद वादी/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। लिहाजा वाद वादी वकील वादी की अदम् हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आदिनांक 07.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>शंकुतला उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर</p>	

